

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 31/2021 (RCMS : 2021/97)

संदीप कौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी गुरलाल जाति जटसिख लिखमेवाला (28 पीएस) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल आगाचक 2 डब्ल्यू गुरुसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



बनाम

1. गुरनाम सिंह पुत्र हुकमचन्द उर्फ हुशनचन्द जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
2. जसपाल सिंह पुत्र हुकमचन्द उर्फ हुशनचन्द जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
3. निरंजन सिंह पुत्र हुकमचन्द उर्फ हुशनचन्द जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
4. लाल सिंह पुत्र हुकमचन्द उर्फ हुशनचन्द जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
5. इकबाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
6. संतोख सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
7. ओम प्रकाश पुत्र बट्टी राम जाति जाट निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
8. बिरमा देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
9. राजेन्द्र पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
10. विद्या देवी पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
11. विश्वजीत पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
12. कुलदीप सिंह पुत्र लाल-सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
13. रेशम सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
14. उपजिलाधीश, रायसिंहनगर



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11.02.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ एवं अप्रार्थी संख्या 1, 4, 7, 8, 9, 12 के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 91, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दावा घोषणात्मक बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है जिसमें उन्हें निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने हेतु प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय के यहां विचाराधीन प्रकरण में तलबी होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण के खिलाफ जवाब आने तक स्थगन आदेश जारी नहीं किया, इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का राजनैतिक प्रभाव है और ऐसा विश्वास है कि प्रार्थिया को वर्तमान उपजिलाधीश, रायसिंहनगर से इन्साफ नहीं मिलेगा। इसलिए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां लम्बित अपील को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।


अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी ने कार्यग्रहण भी कर लिया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो जाने के कारण खारिज करने योग्य है।

मैंने, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 96/2021 संदीप कौर ने एक वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो

चुका है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी किया जा चुका है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर